



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2315

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44527 वर्ष 2025

राजवीर उर्फ चन्द्रभान उर्फ भाने

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : सौरभ त्रिपाठी, शांतनु श्रीवास्तव

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आज दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
3. श्री सौरभ त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
4. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 288 वर्ष 2024, धाराओं 140(1), 103(1), 238(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना हलधौर, जिला बिजनौर के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। आरोप अपने आप में असत्य हैं। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक के डूबने के स्थान के पास आवेदक दिखाई दिया था, अतः यह स्पष्ट रूप से झूठे फँसाने का मामला है। बाद में दोहरी हत्या के संबंध में कहानी को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया।



6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया है कि आवेदक को आरोपित आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 26.04.2025 से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का खंडन नहीं किया जा सका।
8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** में अवलोकन किया है कि यदि अन्यथा अभियुक्त का जमानत का मामला बनता हो, तो उसके विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।
9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
10. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **राजवीर @ चन्द्रभान @ भाने** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।